-1-

न्यायालय बोर्ड ऑव रेवेन्यु मध्यप्रदेश

प्रेमनारायण वल्द रामसहाय कुर्मी,
निवासी मगरधा, तहसील रेहली जिला सागर।
... ... रिव्हीजनर

विरूद्ध

1. भवानी प्रसाद वल्द बालमुकुन्द कुर्मी,
2. ~~पूलचंद वल्द कोदूलाल कुर्मी,~~
3. हरीशंकर वल्द दमरूलाल कुर्मी,
--सभी निवासी ग्राम मगरधा तहसील गढ़ाकोटा,
जिला सागर, म. प्र.
... ... रेस्पोन्डेन्टस

रिव्हीजन पिटीशन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. लैण्ड रेवेन्यु कोड 1952:

रिव्हीजन पिटीशनर न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर (प्रेमनारायण विरूद्ध भवानी एवं 2 अन्य) सेकेन्ड रेवेन्यु अपील प्रकरण क्र. 8 बी/113/89-90 में पारित आदेश दिनाँक 12.3.91 (जो इन्हीं पक्षकारों के मध्य अनुविभागीय अधिकारी रेहली द्वारा प्रथम अपील प्रकरण क्र. 21 ब/113/88-89 में पारित आदेश दिनाँक 3.10.89 तथा तहसीलदार गढ़ाकोटा द्वारा प्रकरण क्र. 5 बी/1 सन् 88-89 आदेश दिनाँक 12.6.89 से उत्पन्न हुआ) से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह रिव्हीजन पिटीशन प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, ग्राम मगरधा, पटवारी हल्का नंबर 22 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर में श्री देव जानकी रमण जी एक प्राईवेट मंदिर है जिसकी सेवा पूजा के लिए ग्राम मगरधा स्थित खसरा नंबर 121 रकवा 0.683 तथा 186 रकवा 4.346 की कृषि भूमि लगी है. उक्त मंदिर अपीलार्थी का निजी मंदिर है जिसका प्रबंध अपीलार्थी के पिता रामसहाय कुर्मी, मोहतमिमकार की हैसियत से अपनी मृत्यु पर्यन्त करते थे.

2. यह कि, उक्त मंदिर एवं उसकी संपत्ति का न तो कोई पब्लिक ट्रस्ट है और न प्राईवेट ट्रस्ट और इसलिए म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 अथवा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के कोई प्रावधान उस पर प्रभावशील नहीं होते।

3. यह कि, अपीलार्थी ने अपने पिता श्री रामसहाय की मृत्यु दिनाँक 8.3.88 को हो जाने के उपरांत उनके स्थान पर अप -2-

R. 104. 57/91 (खारा)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27.9.16 -	आवेदक कुंवर। उपस्थित; अर्ज. प्रकरण में उप. श्री. ह. की [illegible] नहीं है कारण प्रकरण की वापिसी। आवेदक पत्र प्रस्तुत करने के आदेश [illegible] परन्तु आवश्यक पालन [illegible] नहीं हुआ। अतः [illegible] तक नहीं हुआ [illegible] आवेदक [illegible] उप [illegible] प्रकरण [illegible] की [illegible] प्रकरण [illegible] [illegible] [illegible] है। प्रकरण [illegible] नहीं। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]	